संख्या-58/2026/I/1277025/2026/71-1002(002)/21/2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 04 कार्य- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के एम०सी०एच० ब्लाक का जीर्णोद्धार कार्य/ राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के सर्जरी एवं एलाइड भवन का जीर्णोद्धार कार्य/ एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के मेडिसिन ब्लाक के रंगाई पुताई व अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य/ एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के एकेडमिक ब्लाक के रंगाई पुताई व अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/601, दिनांक 19.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एंव औचित्य के परीक्षण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की दिनांक 17.03.2026 को सम्पन्न बैठक के क्रम में परीक्षणोंपरान्त अवधारित समिति की संस्तुति का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों का विवरण तथा आगणन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा** में निम्नानुसार 04 परियोजनाओं हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत (तालिका के कालम-3 के अनुसार) **की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति** तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से निम्नानुसार कार्यो की सम्पूर्ण धनराशि (तालिका के कालम-4 के अनुसार), कुल **रू0** 239.66 **लाख (रू0 दो करोड़ उनतालिस लाख छाछठ हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है -

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना	नामित कार्यदायी संस्था	तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के एम०सी०एच० ब्लाक का जीर्णोद्धार कार्य।	यू0पी0पी0सी0एल0	60.49	60.49
2	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के सर्जरी एवं एलाइड भवन का जीर्णोद्धार कार्य।		78.14	78.14
3	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के मेडिसिन ब्लाक के रंगाई पुताई व अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य ।		46.26	46.26
4	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के एकेडमिक ब्लाक के रंगाई पुताई व अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।		54.77	54.77
			कुल योग-	**239.66**

(रू0 दो करोड़ उनतालिस लाख छाछठ हजार मात्र)

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं केा यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है।
2. क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
3. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
5. आगणन में लेबरसेस नियमानुसार देय होगा।
6. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
7. कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,39,66,000 (रुपये दो करोड़ उनतालीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031056800 राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।